

Central Adoption Resource Authority केन्द्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण



(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India) (भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

F No. CARA-MISC/208/2020-Trg	Date: 23.11.2020
सं./No	दिनांक/ Date

CIRCULAR

Subject: Provisional Registration of Prospective Adoptive Parents (PAPs) where requisite documents (as per Schedule VI of Adoption Regulations 2017) has not been uploaded till date.

It has been observed that a number of PAPs who have registered on CARINGS for adopting a child and have not uploaded their documents as per Schedule VI of Adoption Regulations, 2017 within the stipulated time frame. Please refer to Regulation 9(5) of Adoption Regulations, 2017 wherein the stipulated time for uploading the requisite documents is thirty days from the date of registration in CARINGS.

- 2. Because of the unprecedented global pandemic COVID -19, no PAPs was rejected so far from the system for want of documents. In view of the Guidelines issued by the Government of India w.r.t. to Unlock process, it is communicated that all such PAPs are given 15 days from the date of issue of this circular to upload their requisite documents to complete their registration on CARINGS. Post 15 days period all remaining registrations would be rejected by the system automatically and the interested PAPs would have to register afresh.
- 3. This issues with the approval of Competent Authority.

Sanjay Barshilia Director, CARA

संजय वर्शीलिया / Sanjay Barshilia निदेशक / Director केन्द्रीय दत्तक—ग्रहण संसाधन प्राधिकरण Central Adoption Resource Authority महिला एवं बाल विकास मंत्रालय Ministry of Women & Child Development भारत संस्कार / Government of India परिचणी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम //vest Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram



Central Adoption Resource Authority केन्द्रीय दत्तक -ग्रहण संसाधन प्राधिकरण



(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India) (भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

F No. CARA-MISC/208/2020-Trg	Date: 23.11.2020
सं. / No	दिनांक/ Date

परिपत्र

विशय— संभावित दत्तक माता—पिता (पी ए पी) जिन्होंने पंजीयन के पश्चात आपेक्षित दस्तावेज (दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के अनुसुचि 6 के अनुसार) अभी तक कारा की वेवसाईट पर अपलोड नहीं किये गये हैं।

यह देखा गया है कि बहुत सारे संभावित दत्तक माता—पिता ने पंजीयन के पश्चात आपेक्षित दस्तावेज दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के अनुसुचि 6 के अनुसार तथा निधारित समय सीमा में कारा की वेवसाईट पर अपलोड नहीं किये गये है। दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 9 (5) के अनुसार दस्तावेजों को वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु पंजीयन की तिथी से 30 दिवस निधारित समय सीमा है।

- 2 कोविड 19 महामारी के कारण किसी भी संभावित दत्तक माता—पिता का पंजीयन निधारित समय सीमा में कारा की वेवसाईट पर दस्तावेज अपलोड नहीं किये जाने के कारण निरस्त नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा अनलाक प्रकिया हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये है । अतः सभी संभावित दत्तक माता—पिता जिनके द्वारा आपेक्षित दस्तावेज दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के अनुसुचि 6 के अनुसार तथा निधारित समय सीमा मे कारा की वेवसाईट पर अपलोड नहीं किये हं, वे अपने दस्तवेज इस परिपत्र के जारी होने के 15 दिवस में कारा की वेवसाईट पर अपलोड करें । 15 दिवस की अविध के पश्चात, शेष सभी पंजीयन स्वचालित रूप से सिस्टम द्वारा निरस्त कर दिये जाएंगे एवं इच्छुक संभावित दत्तक माता—पिता को नया पंजीयन करना होगा ।
- 3 यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है ।

4514

संजय बर्सीलिया (निदेशक कारा)

संजय वर्शीलिया / Sanjay Barshilia निदेशक / Director केन्द्रीय दत्तक—यहण संसाधन प्राधिकरण Central Adoption Resource Authority महिला एवं बाल विकास मंत्रालय Ministry of Women & Child Development भारत सरकार / Government of India परिचमी खण्ड-8, विग-2, द्वितीय तल, आर.के, पुरम //est Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram